जिप्सम डालें – उपज बढ़ायें

जिप्सम

- जिप्सम का उपयोग मृदा सुधारक एवं पोषक तत्व के रुप में किया जाता है।
- क्षारीय भूमि के सुधार हेतु जिप्सम, मिट्टी की जिप्सम मांग (जी.आर.वैल्यू) के अनुसार उपयोग किया जाता है।
- जिप्सम में 16 से 19 प्रतिशत कैल्शियम एवं 13 से 16 प्रतिशत सल्फर होता है।
- पोषक तत्व के रुप में 250 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर जिप्सम तिलहन, दलहन एवं गेहूँ फसलों में उपयोग किया जाता है,
- जिप्सम उपयोग से तिलहनों में तेल की मात्रा में वृद्धि होती है तथा दाने सुडौल व चमकदार बनते हैं।

पात्रता

- राज्य के समस्त किसान।

अनुदान

- जिप्सम पर जिलेवार निर्धारित जिप्सम की कुल दर का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 2 हैक्टेयर क्षेत्र प्रति कृषक को देय है।

आवेदन प्रक्रिया

- पोषक तत्वों के रूप में जिप्सम की मांग हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रार्थना पत्र में सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक को आवेदन करें।
- क्षारीय भूमि सुधार हेतु मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार जिप्सम की आवश्यक मात्रा (जी.आर. वैल्यू) निर्धारित प्रार्थना पत्र में भरकर सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक को आवेदन करें।

प्राप्ति स्त्रोत

- अजमेर, बीकानेर, जोधपुर एवं पाली जिले में मैसर्स एग्रोकिंग पेस्टीसाइड्स प्रा0लि0, जयपुर द्वारा अधिकृत विक्रेता एवं राज्य के शेष जिलों में मैसर्स रॉयल केमिकल एण्ड फर्टीलाइजर्स, जयपुर द्वारा अधिकृत विक्रेता से जिप्सम प्राप्त की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित जिले के उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)से सम्पर्क करें।

अधिक जानकारी के लिए निकटतम कृषि कार्यालय में सम्पर्क करें अथवा किसान कॉल सेन्टर के निःशुल्क दूरभाष नं. 18001801551 पर बात करें।

कृषि सूचना, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर
www.agriculture.rajasthan.gov.in

कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कृषक हित में प्रकाशित

Design : R.Massey